कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत विशेष मूद्रा प्राधिकार

169 15102447)

क्र.पी.ए. / सामान्य / राहत आदेश / दिनांक: 16 / 04 / 2019

प्रति,

01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र–5, कोषालय भवन, तीज़ हज़ारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110124
02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद–500463
03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरूणाचल प्रदेश, ईटा नगर–791111
04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी–781029
05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना–800001
06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, अहमदाबाद ब्रांच, 'आडिट भवन', नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009
07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट न.–4 एवं 5, सेक्टर 33–बी, चंडीगढ़–160047
08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला–171003
09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्ज़ीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर–190009
10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.–डोरंडा, राँची–834002
11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.–5329 / 5369 बैंगलोर–560001
12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.–5607, एम.जी. रोड, तिरूवनंथपुरम–695039
13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर–474002
14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)–।। महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर–440001
16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल–795001
17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलाँग–793001
18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिज़ोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल–796001
19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा–797001
20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ओडीशा, भुवनेश्वर–751001
21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17–ई, चंडीगढ़–160017
22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर–302005
23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिक्किम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.–टाडोंग, गंगटॉक–737102
24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई–600018
25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.–कुंजाभवन, अगरतला–799006
26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तराँचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून–248171
27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद–211001
28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बेंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक–2, गवर्नमेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता–700001
29 कन्ट्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैर्स, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
30 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
31 डाईरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी
32 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), तेलंगाना, सैफाबाद, हैदराबाद–500463

विषयः राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स के उनके मूल पेंशन/परिवार पेंशन का 30% अतिरिक्त राहत के संबंध में।

संदर्भः Government of India, Department of Finance, in their- 3700/21-B/C.G./18, Dated 28.11.2018

संदर्भित ज्ञापन में दिये गये निर्देशों का पालन करने एवं अपने अधीनस्थ उपकोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्नः संदर्भित ज्ञापन की प्रति–(01 पृष्ठ)

लेखा अधिकारी / पी.ए.

महालेखाकार का कार्यालय (ले.एवं ह)
Office of the Prl. Accountant General (A&E)
INWARD
22 APR 2019
Telangana, Hyderabad-500 004.

क्र.पी.ए. / सामान्य / राहत आदेश / दिनांक: / 04 / 2019

अवर सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर,जिला-रायपुर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 2021, दिनांक 23.02.2019 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

PH-OG-II

Sd/-
अधिकारी / पी.ए.

O/o Prl. Accountant General (A&E)
Telangana, Hyderabad

545674

545674

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर जिला–रायपुर (छ0ग0) 492002

आदेश

रायपुर, दिनांक /11/2018

क्रमांक /3700/21–ब/छ0ग0/18,– राज्य शासन, एतद्द्वारा, रिट पिटीशन (सि) कमांक 643/2015 ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 मार्च, 2018 के अनुपालन में, द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग के अंतरिम सिफारिशों के आधार पर, राज्य न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को उनके मूल पेंशन/फैमिलि पेंशन का 30 प्रतिशत अंतरिम राहत के रूप में दिनांक 01.01.2016 से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0कमांक एफ2018–21–01550, दिनांक 13.11.2018 द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(रविशंकर शर्मा)
प्रमुख सचिव
छ0ग0शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ. क्रमांक/1502/3700/21–ब/छ0ग0/18, अटल नगर, दिनांक /11/2018

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
2. रजिस्ट्रार जनरल, छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायुपर की ओर आवश्यक आदेश जारी करने के साथ–साथ अन्य राज्यों के महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु,
4. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेंट एण्ड बैंक एकाऊण्ट डिपार्टमेंट, सी–7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स नं0 (पूर्व) मुबंई/लेखाधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, शुभाशीष परिसर, महादेव घाट रोड़, प्रेम विहार, डंगनिया, सुन्दर नगर रायपुर, छ.ग. 492013 (फोन. नं.– 0771–2242332), की ओर सभी संबंधित बैंक की शाखओं को इस आदेश की प्रति अग्रेषित करने के निवेदन सहित,
5. मान0 मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव की ओर मान0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
6. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय अटल नगर, रायपुर (छ0ग0),
7. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर,
8. मान0 विधिमंत्री जी के निज सचिव की ओर मान0 विधिमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
9. प्रमुख सचिव, विधि के स्टाफ आफिसर की ओर मान0 प्रमुख सचिव, विधि के अवलोकनार्थ,

10. संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. रायपुर,
11. समस्त जिला कोषालय अधिकारी छ.ग.,
12. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छ.ग.,
13. सचिव छ.ग. मानव अधिकार आयोग रायपुर,
14. सचिव लोक आयोग छ.ग. रायपुर,
15. रजिस्ट्रार, राज्य उपभोगता विवाद प्रतितोषण आयोग रायपुर,
16. अध्यक्ष, छ.ग. राज्य औद्योगिक न्यायालय रायपुर,
17. पीठासीन अधिकारी राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, रायपुर,
18. सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा मार्ग बिलासपुर,
19. रजिस्ट्रार, छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण रायपुर,
20. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पीछे, एमीनिटीज ब्लाक, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) की ओर छ0ग0 राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रुप से प्रकाशित करने हेतु,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

28.11.18

(मनीष कुमार ठाकुर)
अतिरिक्त सचिव
छ.ग. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग